I/240802/2024

संख्या:240802/ई–64093/XXVII(9)/06–स्टाम्प/2023/2024

प्रेषक,

कृष्ण कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–9 देहरादून, दिनांकः 18 सितम्बर, 2024

विषय– प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजनान्तर्गत EWS आवासों के पंजीकरण में स्टाम्प छूट की प्रतिपूर्ति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र दिनांकः 15.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पात्र निम्न आय वर्ग के लाभार्थियों को आवासीय ईकाई के विक्रय विलेखों हेतु स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क क्रमशः रू0 1000 एवं रू0 500 प्रति आवासीय ईकाई के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त रजिस्ट्रार एवं सब रजिस्ट्रार को निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत EWS आवासों के पंजीकरण में आवास विभाग द्वारा छूट प्रदान की जा रही है। आवास विभाग द्वारा वजट में सुसंगत मद में धनराशि प्राविधानित करते हुए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signed by Krishna Kumar Shukla
Date: 18-09-2024 16:19:58

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या:240802/ई–64093/XXVII(9)/06–स्टाम्प/2023/2024, तददिनांकित।

प्रतिलिपि सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

प्राप्त 18/9/2024

Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 18/09/2024 04:50 PM